

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या - 17-मु0लेखा-बंदो0(वाहन)-02/2012 - 1322

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 27/8/12

विषय :- निविदा सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भाड़े पर वाहन रखने हेतु निविदा प्रकाशित करने के लिए निविदा प्रारूप संलग्न कर पाँच प्रतियों में सी0डी0 सहित भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इसे दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) में शीघ्र प्रकाशित करने का कष्ट किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त।


विश्वासभाजन

1
27/8
(कल्पना कुमारी)
सहायक निदेशक

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)
निविदा सूचना

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के नियंत्रणाधीन बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार एवं मोतिहारी के लिए भाड़े के वाहन की आवश्यकता है। अतः इस हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/आपूर्तिकर्ताओं से मोहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. वाहन का मासिक किराया सभी प्रकार के कर इत्यादि सहित अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क अलग से नहीं दिया जायेगा।
2. वाहन स्कॉर्पियो/टाटा सूमो/बोलेरो/सफारी में से कोई होना चाहिए। जो डीजल चालित हो। साथ ही वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए।
3. इस वाहन की मरम्मत एवं दैनिक रख-रखाव पर होने वाले तेल एवं चालक पर व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किया जाएगा। अधिकतम 60 किलोमीटर प्रतिदिन के परिचालन के लिए कोई भी राशि वाहन मालिक को देय नहीं होगी। 60 किलोमीटर से अधिक वाहन परिचालन होने की स्थिति में निर्धारित दर पर अलग से भुगतान किया जाएगा।
4. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटा बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त के समक्ष उपलब्ध रहना होगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर एकरारनामा समाप्त कर दिया जाएगा एवं पैनल में उपलब्ध वाहन मालिकों से वाहन लिया जाएगा।
5. निविदा के साथ 10000/= (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही रोड टैक्स का अद्यतन भुगतान आवश्यक है।
6. निविदा में वाहन का निबंधन संख्या, रोड टैक्स एवं क्रय के वर्ष का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा। साथ ही वाणिज्यिक निबंधन अनिवार्य है। यदि वाणिज्यिक निबंधन नहीं है तो एक माह के भीतर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
7. निविदा पर गाड़ी लेने से पूर्व गाड़ी के फिटनेस संबंधी जाँच जिला प्रशासन के स्तर पर गठित समिति द्वारा कि जाएगी। जिसमें एम0भी0आई0 के सदस्य भी रहेंगे।
8. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन में खराबी होने पर तुरत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। वे ऐसा नहीं करते हैं तो जितने दिन वाहन की खराबी अथवा चालक की अनुपस्थिति के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। उतने दिनों के लिए अनुपातिक भाड़े का भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर पर यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की जाएगी तब वैसी परिस्थिति में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. प्राप्त निविदा का मूल्यांकन निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
11. निविदा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना - 800015 के कार्यालय में दिनांक 20.09.2012 के अपराह्न 5:00 बजे तक जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. निविदा को बिना कारण बताये किसी समय अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा।


(कल्याणी कुमारी)
सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
मुख्य सचिवालय, पटना - 800015
दूरभाष संख्या - 0612-2217108
फैक्स संख्या - 0612-2217107